<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण कः— 301 / 12</u> <u>संस्थापन दिनांकः—09 / 07 / 12</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000582012</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

- 1. किन्नू पिता बब्लू यादव, उम्र 55 वर्ष,
- 2. भोलू पिता किन्नू यादव, उम्र 24 वर्ष
- 3. मनोज पिता सदाराम यादव, उम्र 25 वर्ष
- 4. श्रीमती रामकला पति भोलू यादव, उम्र 24 वर्ष सभी निवासी लाखापुर, थाना आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 16.11.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 325/34(दो कांउट में) एवं धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.06.2012 को शाम 04:00 बजे ग्राम लाखापुर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी दीपक यादव को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी दीपक एवं आहत मुल्लोबाई के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर उपहित कारित की तथा आहत मुल्लोबाई को स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.06.2012 को फरियादी दीपक ने चौकी बोड़खी थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि दिन में करीब 4 बजे जब वह खेत जमीन बोने हल लेकर गया और पाईप लगाने लगा तभी अभियुक्त किन्नू आया और उसे गाली गुप्तार किया तथा लकड़ी से मारपीट करने लगा। तभी उसका भतीजा अभियुक्त मनोज आया और उसने भी उसे लकड़ी से मारा। जब उसकी मां मुल्लोबाई उसे बचाने आयी तो अभियुक्त रामकला ने उसे लकड़ी से मारा। तभी अभियुक्त भोलू भी आया और उसने भी उसे मारा। मारपीट से उसे बांये पैर, बांये हाथ, दांहिने कंधे, भुजा, कोहनी एवं पीठ पर चोट आयी तथा उसकी मां मुल्लोबाई को बांये

हाथ की कलाई, दांहिने कंधे, कमर पर चोट आयी।

- 3 फरियादी की उक्त रिपोर्ट को चौकी बोड़खी थाना आमला में रोजनामचा सान्हा क. 568 में दर्ज कर फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। चिकित्सकीय परीक्षण पश्चात दिनांक 01.07.2012 को थाना आमला में अभियुक्तगण किन्नू, मनोज, रामकला बाई, भोलू के विरूद्ध अपराध क. 250/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त किन्नू एवं भोलू से एक—एक बांस का डंडा तथा अभियुक्त मनोज से एक आलपाल की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूटा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी दीपक यादव को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया ?
- 2. क्या घटना के समय अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी ने भी सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी दीपक एवं आहत मुल्लोबाई के साथ मारपीट कर उन्हें घोर उपहित कारित की थी ?
- 3. क्या घटना के समय अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी ने भी सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत मुल्लोबाई के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 4. क्या ऐसा अभियुक्तगण द्वारा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छा किया गया था ?
- 5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 04 का निराकरण

- 6 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित क्रम बंधन व सम्यक् विवेचना करने एवं साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से उपर्युक्त विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- तीपक (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण रामकला, किन्नू, भोलू, मनोज ने उसे लाठी से मारा था। मारपीट से उसके उल्टे हाथ और बांये पैर में फेक्चर हो गया था। मुल्लोबाई (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके बेटे दीपक को लठ से मारपीट की थी। अभियुक्त किन्नू ने कुल्हाड़ी की मुदाल से मारा था। मारपीट से उसके बेटे का हाथ और पैर टूट गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बताया है कि जब वह अपने लड़के दीपक को बचाने गयी थी तब अभियुक्त रामकला ने उसे लकड़ी से मारा था जिससे उसके कंधे, कमर और बांये हाथ में चोट आयी थी। बबलू (अ.सा.—3) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह हल्ले की आवाज सुनकर खेत में पहुंचा था। दीपक और मुल्लोबाई को सभी अभियुक्तगण मार रहे थे। इंद्रा यादव (अ.सा.—4) एवं लक्ष्मी (अ.सा.—5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके देवर और सास के साथ मारपीट की थी। उसके देवर दीपक का एक हाथ शरीर से अलग होकर लटक गया था और उसके सास मुल्लोबाई के हाथ और पैर में फेक्चर आया था।
- 8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—7) ने दिनांक 25.06.2012 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को **आहत दीपक** का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने परे आहत की बांयी मुजा एवं बांये पैर पर 4 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द तथा दांहिनी भुजा पर खरोच पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आतत मुल्लोबाई के चिकित्सकीय परीक्षण करने पर आहत की बांयी हाथ की हथेली के जोड़ एवं अग्र भुजा पर 5 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द एवं बांयी भुजा पर 3 गुणा 2 सेमी. आकार का कंट्रजन पाया था। साक्षी ने आहतगण को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श पी—5, एवं प्रदर्श पी—6 को प्रमाणित किया है।
- 9 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.—6) ने उसके न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 26.06.2012 को जिला चिकित्सालय बैतूल में रेडियो लाजिस्ट के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत दीपक की बांयी भुजा एवं बांयी पिंढली का एक्सरे परीक्षण करना बताते हुए आहत की एक्सरे प्लेट क. 6368 में बांयी ह्यूमरस और बांयी टिबिया हड्डी टूटी हुई पायी थी तथा आहत मुल्लोबाई की

बांयी कलाई और बांयी अग्र भुजा का एक्सरे परीक्षण करने पर आहत की एक्सरे प्लेट क. 6365 एवं 6436 में रेडियर हड्डी के निचले तिहाई हिस्से में अस्थिमंग पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी—3 एवं प्रदश प्रपी—4 को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा चिकित्सक साक्षी डॉ. रोहित एवं साक्षी दीपक, मुल्लोबाई, बबलू, इंदा यादव एवं लक्ष्मी के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयाविध में आहत दीपक एवं मुल्लोबाई को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

- 10 ज्योत्सना यादव (अ.सा.—11) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह दिनांक 01.07.2012 को पुलिस थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। दिनांक 25.06.2012 को फरियादी दीपक द्वारा थाने में मौखिक रिपोर्ट लिखाये जाने पर रोजनामचा सान्हा क. 568 में लेख कर फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया था, जिसके पश्चात फरियादी एवं आहत की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 01.07.2012 को अपराध क. 250 / 12 में (प्रदर्श पी—12) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध करना तथा विवेचना के दौरान दिनांक 02.07.2012 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तथा दिनांक 04.07.2012 को अभियुक्त किन्नू एवं गोलू से एक—एक बांस की लकड़ी एवं अभियुक्त मनोज से एक आलपाल की लकड़ी जप्त कर प्रदर्श पी—5 लगायत प्रदर्श पी—7 के जप्ती पत्रक तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण किन्नू, गोलू, मनोज एवं रामकलाबाई को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—8 लगायत प्रदर्श पी—11 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।
- 11 एस.एल. साहू (अ.सा.—8) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 08.07.2012 को पुलिस चौकी बोड़खी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। अपराध क. 250/12 में अग्रिम विवेचना के दौरान साक्षी दिनेश एवं नान्हू के कथन लेखबद्ध किये थे।
- 12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अन्य साक्षीगण एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। साथ ही साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में दिनेश (अ.सा.—9) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय फरियादी दीपक अभियुक्त किन्नू के खेत में से बैलों को बख्खर से जोतते हुए ले जा रहा था। इसी बात

पर से दोनों का विवाद होने लगा। फिरयादी दीपक ने बैलों को हांकने की लकड़ी से अभियुक्त किन्नू को मारने के लिए दौड़ा था। इसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। कुछ देर बाद अभियुक्त मनोज, रामकला और भोलू भी आ गये। दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी। बीच में मुल्लोबाई भी आयी थी। दोनों पक्ष एक दूसरे को डंडे से मार रहे थे। साक्षी ने आगे यह बताया है कि वह अपने खेत से यह सब देख रहा था लेकिन जहां झगड़ा हो रहा था वहां नहीं गया था। सूरज (अ.सा.—10) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना उसके खेत के पास की है। दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था। वह अपने खेत से देख रहा था मौके पर नहीं गया था।

- विनेश (अ.सा.—9) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना स्थल से उसका खेत कुछ दूरी पर है। घटना के समय वह अपने खेत में काम कर रहा था। वह मौके पर नहीं गया था। जब उसने देखा तब तक घटना हो चुकी थी। लड़ाई झगड़े में किसने किसकों मारा, किस चीज से मारा वह नहीं देख पाया था। सूरज (अ.सा.—10) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे जोर—जोर से चिल्लाने की आवाज आयी थी। जब उसने देखा तब तक विवाद खत्म हो चुका था। घटना होते उसने नहीं देखी थी। विवाद का कारण क्या था इस बात की उसे जानकारी नहीं है। उपर्युक्त साक्षीगण अपने कथनों पर स्थिर नहीं हैं और स्वयं के द्वारा घटना न देखा जाना बताया है। उपर्युक्त परिस्थिति में साक्षीगण के कथनों से मात्र इतनी सहायता प्राप्त होती है कि घटना के समय उभयपक्ष के मध्य विवाद हो रहा था।
- वचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रकरण में साक्षी बबलू, इंद्रा यादव, लक्ष्मी आहतगण के परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं जिससे इनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस. सी. 233 में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।
- 16 बबलू (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि जब वह आवाज सुनकर खेत पर आया तो झगड़ा हो रहा था। सभी अभियुक्तगण दीपक और उसकी मां को मार रहे थे। इंद्रा यादव (अ.सा.—4) एवं लक्ष्मी (अ.सा.—5) ने यह बताया है कि सभी अभियुक्तगण ने उसके देवर और सास के साथ मारपीट की थी जिससे दोनों घायल हो गये थे।

वबलू (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके समक्ष कोई मारपीट नहीं हुई थी। घटना के समय वह घर के अंदर था। उसने किसी भी अभियुक्त को मारपीट करते हुए नहीं देखा। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी मां और भाई बेहोश हो गये थे। इंद्रा यादव (अ.सा.—4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर थी। जब वह बाहर आयी तो देखा कि उसके देवर दीपक का हाथ टूटकर लटका हुआ था। अभियुक्तगण उसे देखकर भाग गये थे। सास मुल्लोबाई और देवर दोनों बेहोश हो गये थे। वह घटना होने के बाद मौके पर पहुंची थी। लक्ष्मी (अ.सा.—5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय घर के अंदर थी। जैसे ही घर के बाहर आयी तो सास और देवर बेहोश पड़े थे।

18 साक्षी बबलू (अ.सा.—3), इंद्रा यादव (अ.सा.—4), लक्ष्मी (अ.सा.—5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उन्होंने अभियुक्तगण को दीपक एवं मुल्लोबाई को मारते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वे मौके पर पहुंचे थे तब दीपक और मुल्लोबाई घायल अवस्था में बेहोश पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को इतनी सहायता प्राप्त होती है कि घटना के तुरंत पश्चात आहत दीपक एवं मुल्लोबाई घायल अवस्था में थे, उन्हें चोट आयी हुई थी।

19 अभिलेख पर दीपक (अ.सा.—1) और मुल्लोबाई (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है, जो कि प्रकरण में फरियादी एवं आहत है। आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552 उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं।

20 दीपक (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह बुवाई कर रहा था। तभी अभियुक्तगण आये और उसे मारने लगे। उसकी मां मुल्लोबाई बीच बचाव के लिए आयी थी और कह रही थी कि मेरे बेटे को मत मारो वह मर जायेगा। इसके बाद वह मौके पर ही बेहोश हो गया था। मुल्लोबाई (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह खेत पर बोवनी के लिए लड़के दीपक के साथ गयी थी। उसका लड़का दीपक बैल जोत रहा था। अभियुक्तगण ने उसके बेटे दीपक को लट से मारपीट की। अभियुक्त किन्नू ने कुल्हाड़ी की मुदाल से दीपक को मारा था।

दीपक (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के 21 समय वह खेती कर रहा था, हल चला रहा था और मां मक्का के दाने डाल रही थी। वह बैल लेकर आगे–आगे चल रहा था और पीछे–पीछे उसकी मां चल रही थी। साक्षी ने यह बताया है कि उसने रोजनामचा सान्हा और पृलिस कथन में यह लेख नहीं कराया था कि वह खेत में हल लेकर गया, पाईप लगाने लगा तभी अभियुक्त किन्नू ने लकड़ी से मारपीट की। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त किन्नू ने कुल्हाड़ी की मुदाल से मारा था। इस सुझाव को सही बताया है कि जैसे ही कुल्हाड़ी की चोट लगी वह बेहोश हो गया था। स्वतः कहा कि उसे मरा समझकर छोड दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में यह बताया है कि उसने पुलिस को अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी की मुदाल और लाठी से मारने वाली बात बतायी थी। इस सुझाव को गलत बताया हैं कि उसने पुलिस को ऐसा बताया था कि जब उसकी मां मुल्लोबाई बचाने के लिए आयी तो अभियुक्त किन्नू की बहू रामकला ने मुल्लोबाई की भी मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को बताया कि अभियुक्तगण रामकला, किन्नू, भोलू आये थे और मारपीट की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि खेत में काम करते समय गिर गया था जिससे उसे चोटें आयी थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी और अभियुक्तगण मौके पर नहीं थे।

22 मुल्लोबाई (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि जब वह मौके पर पहुंची तब उसके बेटे को चोट लग चुकी थी, वह बेहोश हो गया था। स्वतः कहा कि वह साथ में थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह लड़के की मारपीट का बीच बचाव करने के लिए गयी थी। स्वतः कहा साथ में थी और बीच बचाव किया था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि जब वह अपने घर गयी तब तक अभियुक्तगण वहां से भाग गये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे शक है कि अभियुक्तगण ने मारपीट की है। स्वतः कहा उन्हीं लोगों ने मारपीट की है। इस सुझाव को सही बताया है कि जैसे ही उसके लड़के दीपक को कुल्हाड़ी लगी थी वह बेहोश हो गया था। उसके बाद उसने भी सुदबुध खो दी थी, फिर नहीं देखा कि किसने मारा था।

वचाव अधिवक्ता का यह महत्वपूर्ण तर्क रहा है कि उभयपक्ष के मध्य जमीनी रंजिश है। रंजिशवश अभियुक्तगण के विरुद्ध झूटा मामला बनाया गया है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में दीपक (अ.सा.—1), मुल्लोबाई (अ.सा.—2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पूर्व से ही अभियुक्तगण से खेत को लेकर विवाद चल रहा है। दीपक (अ.सा.—1) ने यह भी बताया है कि 25 वर्षों से झगडा है और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के

बीच में कई बार लड़ाई झगड़ा और मारपीट तथा रिपोर्ट हो चुकी है। इस प्रकार उभयपक्ष के मध्य रंजिश स्थापित है परंतु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूठा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commussion of offences as also for false implication" अर्थात रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है।

दीपक (अ.सा.-1) मौके पर अभियुक्तगण रामकला, किन्नू, भोलू और मनोज के उपस्थित रहने एवं उनके द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित है। मुल्लोबाई (अ.सा.–2) ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त रामकला कें द्वारा लकड़ी से मारे जाने का कथन किया है। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह अपने लडके दीपक के साथ में थी। बीच बचाव किया था। उसके लड़के को जैसे ही कुल्हाड़ी लगी वह बेहोश हो गया था और उसने भी सुदब्ध खो दी थी। इसके बाद किसने मारा वह देख नहीं पायी थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह शक के आधार पर बता रही है कि अभियुक्तगण ने मारपीट की है और अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की थी। मोके पर अभियुक्तगण की उपस्थिति स्थापित है। बचाव पक्ष के द्वारा भी अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति को चुनौती नहीं दी गयी है। यद्यपि दीपक (अ.सा.-1) एवं मुल्लोबाई (अ.सा.-2) के कथनों में कुछ विरोधाभास है परंतु उपर्युक्त साक्षियों के कथन न्यायालय में वर्ष 2016 में हुए हैं जबकि मामला वर्ष 2012 का है। साथ ही साक्षी मुल्लोबाई 60 वर्ष की होकर अत्यन्त वृद्ध महिला है। लगभग चार वर्ष बाद न्यायालय में साक्षियों के कथन हुए है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से घटना के सचित्र वर्णन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। साक्षीगण अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर हैं। उनकी साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। यद्यपि साक्षियों के कथनों में कुछ विरोधाभास है परंतू वे तात्विक न होकर अत्यन्त सामान्य हैं क्योंकि जब एक से अधिक व्यक्ति किसी की मारपीट करे तब यह बताना संभव नहीं है कि किसके प्रहार से कहां पर चोट आयी, किस व्यक्ति ने कहां पर प्रहार किया। फरियादी के द्वारा बिना विलंब घटना की सूचना थाना में तत्काल पश्चात घटना के लगभग एक घंटे बाद दे दी गयी है। फरियादी के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर दिनांक 25.06.2012 को समय 17:00 रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श पी-1) लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में फरियादी के द्वारा झूठी कहानी गढ़कर अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त किया जाना भी प्रकट नहीं हो रहा है। आहतगण अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित है

इसलिए रंजिश से भी बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। अत : यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने दीपक एवं मुल्लोबाई की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

आशय मानसिक तत्व होता है जिसके संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य 25 प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। आशय को मात्र परिस्थितियों एवं आचरण के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है। घटना के समय अभियुक्तगण की उपस्थित प्रमाणित हो चुकी है तथा किसी ने भी अन्यत्रता का बचाव नहीं लिया है। यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो चुका है कि अभियुक्तगण ने आहत दीपक को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी ने आहत मुल्लो को मारकर उपहति कारित की। जिस प्रकार तीनों अभियुक्तगण घटना के समय एक साथ मौके पर उपस्थित थे और आहत दीपक को मारा तथा बचाव करने के लिए आयी उसकी मां आहत मुल्लो को भी मारा इससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण घटना के समय आहतगण को उपहति कारित करने के लिए तैयार थे। उनका आचरण यही अनुमान इंगित करता है कि या तो वे ऐसा करने के लिए पहले से तैयार थे अथवा उन्होंने मौके पर ही मारपीट करने का सामान्य आशय बना लिया था। इस प्रकार युक्तियुक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने आहतगण के साथ अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में ही मारपीट की थी। अभियुक्तगण अपने कृत्य को किये जाते समय उसके परिणाम को जानते थे अतः अभियुक्तगण के द्वारा आहतगण पर प्रहार किया जाना उनके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। अभिलेख पर ऐसे कोई तथ्य भी उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह दर्शित हो कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

26 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दीपक यादव को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी दीपक की मारपीट कर उसे घोर उपहित एवं आहत मुल्लोबाई के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित की। फलतः अभियुक्तगण किन्नू, भोलू, मनोज एवं रामकला को भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34(दो कांउट में), 323/34 के आरोप में दोषी पाया जाता है।

27 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

28 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। साथ ही सभी अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया घोर उपहित कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दिण्डत किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

29 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी एवं आहत के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मारपीट कर फरियादी दीपक एवं आहत मुल्लोबाई को घोर उपहित कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

30 अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। घटना में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट कर उन्हें उपहित पहुंचायी गयी है। चूंकि अभियुक्तगण पर आहत मुल्लोबाई के संबंध में धारा 323/34 भा.दं.सं. के संबंध में भी अभियुक्तगण द्वारा आहत को उपहित कारित किये जाने का तथ्य पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है परंतु धारा 323 भा.दं.सं. का अपराध लघुत्तर होकर धारा 325 भा.दं.सं. में समाहित है। अतः धारा 71 भा.दं.सं. के आलोक में अभियुक्तगण को आहत मुल्लोबाई के संबंध में धारा 323/34 भा.दं.सं. में दंडित न किया जाकर धारा 325/34 भा.दं.सं. में दंडित किया जाता है। प्रकरण के संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात तथा अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को मात्र अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। फलतः अभियुक्तगण किन्नू, भोलू, मनोज एवं रामकला को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है :—

धारा	सश्रम कारावास	अर्थदंड	जुर्माना अदा करने की दशा में सश्रम कारावास
325 / 34 भा.दं.सं. (दो काउंट में)	1 वर्ष (प्रत्येक काउंट में)	200 / — रूपये (प्रत्येक काउंट में)	10 दिवस

31 मूल कारावास के समस्त दंड साथ-साथ भुगताये जाये।

32 प्रकरण में जप्तशुदा दो बांस के डंडे एवं एक आलपाल की लकड़ी अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

33 प्रकरण में फरियादी दीपक एवं आहत मुल्लोबाई आपस मां बेटे हैं। अतः धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 1,000 / — रूपये फरियादी दीपक पिता मिश्रीलाल यादव निवासी लाखापुर, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

34 अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उनका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्तगण को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

35 दं०प्र०सं० की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)